संख्या-20/2026/1382/96-आयुष-1-2026-ई0पत्रा0-1928510

प्रेषक,

रंजन कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31.07.2026**

विषय:- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चरौवा, बलिया हेतु नि:शुल्क प्राप्त भूमि को विभाग के नाम किये जाने हेतु कोर्ट फीस के भुगतानार्थ धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-81/485/भूमि क्रय/योजना/2026-27 दिनांक 16.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चरौवा, बलिया हेतु नि:शुल्क प्राप्त भूमि को विभाग के नाम किये जाने हेतु कोर्ट फीस के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत धनराशि रू0-55,890.00 (रुपये पचपन हजार आठ सौ नब्बे मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक-28-03-2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवमुक्त धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(2)- भूमि के निर्विवाद होने की स्थिति से निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(3)- प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु कोई धनराशि न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4)- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का होगा।निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में अवमुक्त धनराशि को आवंटित/व्यय किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को पोस्ट आफिस/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु (भूमि विभाग के नाम किये जाने हेतु अनुमन्य निबन्धन/पंजीयन शुल्क के भुगतान हेतु) अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6)- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त धनराशि का व्यय किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

(7)- व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व की जाने वाली समस्त औपचरिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं मिल जाता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सुसंगत नियमों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,890 (रुपये पचपन हजार आठ सौ नब्बे मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 033 लेखा शीर्षक 4210808000800 आयुर्वेद विभाग में चिकित्सालयों की स्थापना मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रंजन कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 20 /2026/1382(1)/96-आयुष-1-2026, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।
(6) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बजरंगी मौर्या
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in